

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. District (जिला): JAIPUR CITY (NORTH) P.S. (थाना): SUBHASH CHOWK Year (वर्ष): 2026

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0122 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 22/07/2026 23:57 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	319(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(3)
6	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	341(1)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 07/11/2025 Date To (दिनांक तक): 19/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई) Date (दिनांक): 22/07/2026 Time (समय): 23:36 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 072 Date & Time (दिनांक एवं समय) 22/07/2026 23:36:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1 (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): दक्षिण - पूर्व, 0.44 किमी Beat No. (बीट सं.): चार दरवाजा

(b) Address(पता): JAGNNATH SHAH KA RASTA

(c)

In case, outside the limit of this Police Station, then

(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S

(थाना का नाम):

District(State)

(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Mohammad Faim Khan

(b) Father's Name (पिता का नाम): Mohammad Saeed Khan

(c) Date/Year of Birth 1988
(जन्म तिथि/ वर्ष):

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

(जारी करने की तिथि):

Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान सं.)
--------------------	-----------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	12, Lalwas Ka Bandha, Star City Colony, Nai Ki Thadi,, JAISINGHPURA KHOR, JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	2939, Futa Khurra, Ramganj Bazar, Jaipur, RAMGANJ(JAIPUR CITY (NORTH)), JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9314683155

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
--------------------	---------------	------------------	---------------------------------------	---------------

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
--------------------	--	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12.First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-12जयपुर महानगर द्वितीय फौजदारी परिवाद संख्या ..44../2026 मोहम्मद फईम खान पुत्र श्री मो. सईद खान आयु 38 वर्ष, निवासी 2939 फूटा खुरा, रामगंज बाजार, जयपुर हाल निवासी 12, लालवास का बंधा, स्टार सिटी कोलोनी, नाई की थडी, जयपुर राजस्थान परिवादी बनाम 1. शहजाद खान पुत्र नामालूम निवासी मोती कटला बाजार, छोटी मस्जिद के पास, हांडीपुरा, जगन्नाथ शाह का रास्ता, चौकडी रामचन्द्र जी की, जयपुर। 2. मजहर खान पुत्र नामालूम निवासी पुराना रामगढ़ मोड, आमेर रोड़, मंसूरी समाज भवन के पास, जयपुर। 3. एक्स पी ओ आर यु कम्पनी पता नामालूम -अभियुक्तगण परिवाद अन्तर्गत धारा 210 बी.एन.एस.एस. अपराध अन्तर्गत धारा 316(2), 319 (1), 318(4), 338, 336(3), 338, 340 (1) बी.एन.एस. पुलिस थाना सुभाष चौक जयपुर श्रीमान जी, परिवादी की ओर से परिवाद निम्न प्रकार पेश है-1. यह कि परिवादी उपरोक्त शीर्षक में वर्णित दर्ज पते पर परिवार सहित निवास करता है। 2. यह कि परिवादी जवाहरात का व्यवसाय कर बडी मेहनत और खून पसीने की कमाई से 5,00,000/-रूपये पाँच लाख रूपये की रकम थोडी थोडी बचत करके जमा कर रखी थी, परिवादी अपने परिवार और बच्चों के भविष्य के लिये किसी निवेश योजना के लिये निवेश करना था इसी दौरान अभियुक्त संख्या 1 व 2 मिले और स्वयं को एक्स.पी.ओ.आर.यु कम्पनी का फैंन्वाइजी मैनेजर ओर प्रमोटर एजेन्ट बताया उक्त अभियुक्तगण ने बताया कि उक्त कम्पनी एक्स. पी. ओ. आर, यु मे राशि निवेश कर दो तो साप्ताहिक और मासिक आधार पर भारी मुनाफा कमा सकते हो जिसमें से मुनाफे की 30 प्रतिशत राशि काट कर 70 प्रतिशत राशि परिवादी के खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी, जिस पर परिवादी ने उक्त कम्पनी की विश्वसनीयता के संबंध में पूछा तो अभियुक्त संख्या 1 ने कहा कि अभियुक्त संख्या 2 परिवादी कम्पनी एक्स.पी.ओ.आर.यु में बिजनेस पार्टनर है वो आपको विस्तार से मुनाफे योजना के बारे में बता देगा और मेरा सी.ऐ का काम है, पुख्ता ओफिस है अभियुक्तगण परिवादी और परिवादी के जीजा मरगूब अहमद को अपने साथ लेकर अपने आफिस स्थित मोती कटला बाजार, छोटी मस्जिद के पास, हांडीपुरा, जगन्नाथ शाह का रास्ता, चौकडी रामचन्द्र जी की, जयपुर पर लेकर गये ओर जहा पर अभियुक्तगण ने अपने मोबाईल फोन में सोशल मीडिया पर उक्त कम्पनी एक्स.पी.ओ.आर.यु के प्रमोशन सेमिनार विदेशी टूरर के अपने विडियो फोटो दिखाये और यह भी बताया कि अभियुक्त संख्या 2 पहले फुटपाथ पर प्लास्टिक के आईटम बेचकर बमुश्किल अपना गुजारा करता था तो अभियुक्त संख्या 2 ने भी एक्स.पी.ओ. आर.यु में बहुत ही कम समय मै बहुत भारी मुनाफा कमा लिया और आलीशान मकान, लग्जरी महंगी गाडिया खरीद कर आराम से ऐशो आराम की जिन्दगी जी रहा है, इस पर परिवादी अभियुक्तगण की लोक लुभावनी बातों पर विश्वास व भरोसा कर उनकी बातों में आकर दिनांक 7.11. 2025 को अभियुक्त संख्या 1 के आफिस में 3,00,000/-रूपयें तीन लाख रूपये नगद को दे दिये जिस पर अभियुक्त संख्या 2 ने अभियुक्त संख्या 1 के कहने

पर परिवारी के मोबाईल फोन लेकर परिवारी के नाम से एक्स.पी.ओ.आर.यु कम्पनी की परिवारी की आई.डी और पोर्टफोलियो बना दिया, जिसमे परिवारी द्वारा अदा की गयी 3,00,000/-रूपये अक्षरे तीन लाख रूपये की राशि यु.एस अमेरिकन डालर में दर्शाई गयी कुछ दिन बाद परिवारी ने जब अभियुक्तगण द्वारा बतायी गयी साप्ताहिक अवधी के मुनाफे की राशि परिवारी के अकाउंट मे नही आने की बात बतायी तो अभियुक्तगण ने कहा कि अभी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उक्त एक्स.पी.ओ.आर.यु कम्पनी के सॉफ्टवेयर की मेंटेनेस काम चल रहा है इसलिये आपकी राशि 3,00,000/-रूपये अक्षरे तीन लाख रूपये का मुनाफा जनरेट नही हो रहा है आप 5,00,000/-रूपये अक्षरे पाँच लाख रूपये ओर निवेश कर दो जिस पर परिवारी ने अभियुक्तगण से मजबूरी जताई तो अभियुक्तगण ने कहा कि आप को 5,00,000/-रूपये अक्षरे पाँच लाख रूपये तो ओर लगाना ही पडेगा नही तो आपकी पहले की तीन लाख रूपये की राशि जब्त हो जावेगी इस बात से घबरा कर परिवारी ने बहुत प्रयास करके दिनांक 19.11.2025 को 2,00,000/-रूपये अक्षरे दो लाख अभियुक्तगण को निवेश के लिये दी और परिवारी ने अभियुक्तगण को ओर राशि नहीं दिये जाने की अपनी मजबूरी बतायी जिस पर अभियुक्तगण ने राशि अपने पास रख ली, इसके एक महिने बाद जब अभियुक्तगण से मुनाफा राशि हेतु सम्पर्क किया तो अभियुक्तगण ने कभी कम्पनी के मेंटेनेन्स चलने का बहाना बना कर कभी कोई ना कोई बहाना बनाकर बहला फुसला कर वापस भेज देते थे। 3. यह कि इसी दौरान परिवारी को सोशल मिडीया पर ओर समाचार पत्र से उक्त एक्स.पी.ओ. आर.यु कम्पनी के फर्जी वाडे की जानकारी हुई तो परिवारी के पैरो तले जमीन खिसक गयी इस प्रकार अभियुक्तगण ने एक सोची समझी साजिस के तहत उक्त फर्जी कम्पनी व ऐजेन्ट ओर फर्जी फेन्जाईजी मैनेजर बता कर परिवारी से उसकी गाढे खून पसीने की राशि 5,00,000/-रूपये अक्षरे पाँच लाख रूपये हडप कर ली है। 4. यह कि अभियुक्तगण के विरुद्ध राजस्थान के विभिन्न पुलिस थानो में उक्त फर्जी कम्पनी के संबध में एफ.आई.आर दर्ज है, अब परिवारी को पूरा विश्वास हो गया है कि अभियुक्तगण ने उक्त फर्जी एक्स.पी.ओ. आर.यु कम्पनी का फर्जी ऐजेन्ट ओर फर्जी फेन्जाईजी मैनेजर बता कर परिवारी के साथ घोखाधडी कर परिवारी की राशि हडप ली तथा फर्जी कम्पनी व कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर परिवारी के साथ छल कर राशि हडप की गयी है। 5. यह कि अभियुक्तगण का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 316(2), 319(1), 318(4), 338, 336 (3), 338, 340(1) बी.एन.एस. की श्रेणी में आता है। 6. यह कि उक्त घटना के संबंध में एक लिखित रिपोर्ट श्रीमान थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना सुभाष चौक जयपुर को दी किन्तु पुलिस वालो ने परिवारी की रिपोर्ट दर्ज नही की, तत्पश्चात जरिये रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 16.06.2026 को प्रेषित की किन्तु फिर भी रिपोर्ट दर्ज नही की जिस पर एक लिखित रिपोर्ट श्रीमान पुलिस उपायुक्त उत्तर जयपुर महानगर को जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 29.06.2026 को प्रेषित की लेकिन उसके बाद भी परिवारी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की और ना ही अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही की, इसलिए श्रीमान जी के समक्ष यह परिवार प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। 7. यह कि अभियुक्तगण का उक्त कृत्य पुलिस थाना सुभाष चौक जयपुर के क्षेत्राधिकार में घटित होने के कारण श्रीमान न्यायालय को परिवार पत्र सुनने व निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार विधि में प्राप्त है। 8. यह कि परिवार पत्र उचित न्याय शुल्क एवं अन्दर मियाद पेश है। अतः परिवारी की ओर से परिवार पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि परिवारी का परिवार पत्र स्वीकार फरमाया जाकर परिवार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175 (3) के तहत पुलिस थाना सुभाष चौक जयपुर में भेजा जाकर एफ.आई.आर. दर्ज की जाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के आदेश फरमाने की कृपा करे। जयपुर दिनांक परिवारी मो. फईम खान मोहम्मद फईम खान -----कार्यवाही पुलिस-----प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाइपशुदा इस्तगासा अन्तर्गत धारा 175(3) BNSS का न्यायालय श्रीमान MM-12 जयपुर महानगर द्वितीय परिवारी मो. फईम खान पुत्र श्री मो. सईद खान आयु 38 वर्ष निवासी 2939 फूटा खुरा रामगंज जयपुर का थाना हाजा पर प्राप्त हुआ। मजमून इस्तगासा से अपराध धारा 316(2), 319(2), 318 (4), 338, 336(3), 341(1) BNS का पाया जाने पर FIR दर्ज कर तफ्तीश श्री गोविन्द सिंह ASI के जिम्मे की जाकर CCTNS मे प्रविष्ट कर FIR प्रतिया नियमानुसार जारी की गई। CCTNS द्वारा जारी FIR नंबर पृथक से नीचे अंकित किया जावेगा।

13 Action taken Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

Govind Singh

Rank

सहायक उप - निरीक्षक

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15.Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम):Kamlesh Kumar

Rank (पद):I (Inspector)

No(सं.):

